10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

21

न्यायालय :— श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0आर. ....थर्ड / 2010

रिव्यू 957 II/10

कृष्णकांत पुत्र श्री रामेश्वर दयाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम लहचूरा तह0गोहद जिला भिण्ड हाल निवासी रानीपुरा चार शहर का नाका ग्वालियर म0प्र0.

................**आवेदक**

श्री प्रे0 शर्मा - एडवोकेट 9-7-10 को प्रस्तुत। द्वारा आज दि0 .... 9-7-10 अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

बनाम

1—श्रीमती मधुवाई पत्नी विशम्मरदयाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम बरथरा तह0 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

2—प्रकाश नारायण पुत्र सालिगराम जाति ब्राहम्ण निवासी चक वरथरा तह0गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

3—रमेश

4—दशरथ पुत्रगण ग्याप्रसाद

जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बरथरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..................**अनावेदकगण**

9-7-10

<u>पुर्नविलोकन विरूद्व आदेश दिनांक 25 / 3 / 10 न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर माननीय सदस्य श्री विनय शुक्ला के प्र0क्र0आर.434 / सेकेण्ड / 09 अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0संहिता</u>

महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नांनुसार प्रस्तुत हैः—

1— यहकि,ग्राम बरथरा परगना गोहद में स्थित कृषि भूमि खाता क्रमांक 193 कुल किता 21 कुल रकवा 7.597 हेक्टयर ग्राम विसोनिया में स्थित खाता क्रमांक 102 किता 2 कुल रकवा 2.697 है का मृतक माताप्रसाद भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी थे अपने जीवनकाल में माताप्रसाद ने आवेदक के हक में वसीयत संपादित की ।

2— यहकि,माताप्रसाद की मृत्यु हो जाउने पर आवेदक द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने वावत् आवेदन तहसील गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें मृतक की विधवा बादामीवाई पुत्र रामसहाय ने वारिसान के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की तथा वारिसान के आधार पर नामांतरण किये जाने की प्रार्थना की जो प्र0क्र046 / 07—08अ / 6 पर पंजीवद्व किया गया दौराने विचाराधीन प्रकरण बादामीवाई ने अपने पुत्र रामसहाय के हक में कथित वसीयत संपादित के दौरान प्रकरण बादामीवाई व रामसहाय की मृत्यु हो गई ।

3— यहकि,अनावेदक क्र.1 मधुवाई ने प्रकरण में रामसहाय द्वारा कथित वसीयत के आधार पर पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो रामसहाय के वारिसान के संवध में माननीय उच्च न्यायालय तक चला । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 284 / 03 में पारित आदेश दिनांक 22 / 7 / 74 से प्रकरण तह0न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापिस भेजा कि सर्वप्रथम मधवाई रामसहाय की वैध वारिस है इसकी

22

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 957–दो/10 जिला –भिण्ड़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
6.4.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री एस0 के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क किये तथा उनके द्वारा 15 दिवस में लिखित बहस प्रस्तुत करने का निवेदन किया । आवेदक अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 21.1.16 को अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अनावेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 श्रीवास्तव द्वारा कोई लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की है । 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह रिव्यु आवेदन पत्र राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 434–दो/09 में पारित आदेश दिनांक 25.3.10 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। 3– प्रकरण का सारांश यह कि तहसील गोहद के ग्राम बरथरा एवं सिसोनियां में स्थित विवादित भूमि के संबंध में आवेदक एवं अनावेदक के बीच विवाद नामांतरण किये जाने बावत हुआ है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय तक चला। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक 284/2003 में	

पारित आदेश दिनांक 29.7.04 से प्रकरण तहसीलदार न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि सर्व प्रथम यह तय किया जावे कि अनावेदिका कमांक–1 मधुबाई मृतक रामसहाय की वैद्य वारिस है अथवा नहीं ? जिससे वह इस प्रकरण में भाग लेने की पात्र है अथवा नहीं ? तहसीलदार न्यायालय में दोनों पक्षों की साक्ष्य ली तथा समक्ष में सुनवाई का पूरा अवसर प्रदाय किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.12.2004 से यह माना कि अनावेदिका कमांक–1 मधुबाई मृतक रामसहाय की वैद्य वारिस माना है और उसी के आधार पर उसी के हक में नामान्तरण स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 20.12.2004 से परिवेदित होकर आवेदक कृष्णकांत द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 16.8.2007 से अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गोहद का ओदश निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया जाकर निर्देशित किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कम में अनावेदिका कमांक–1 मधुबाई की वारिसी की जांच करें । इसी आदेश से परिवेदित होकर अनावेदिका कमांक–1 ने अपर कलेक्टर जिला भिण्ड के यहां निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 24.12.2007 से निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी गोहद का आदेश निरस्त किया तथा विचारण न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदक कृष्णकांत द्वारा अपर आयुक्त चंबल

संभाग के यहां निगरानी प्रस्तुत की। जो दिनांक 26.3.09 को निरस्त की। इसी से दुखी होकर प्रकरण राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 25.3.10 को निगरानी खारिज की गई।

4--आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि मृतक माताप्रसाद के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज होकर वह उसके अभिलिखित भूमि स्वामी थे माता प्रसाद द्वारा उक्त भूमि की वसीयत प्रार्थी के हक में दिनांक 31.12.87 को निष्पादित की थी। दिनांक 21.10.88 को माता प्रसाद की मृत्यु हो जाने के पश्चात आवेदक ने वसीयतनामा तथा मौके पर काबिज होने के आधार पर उक्त भूमि पर नामांतरण कराये जाने बावत। तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपनी बहस में उल्लेख किया है कि माताप्रसाद के वैध वारिस व उत्तराधिकरी थे और जन्म से ही अंधे थे और उक्त भूमि उनके नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में अंकित रही थी। प्रतिप्रार्थी रामसहाय के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को खड़ा करके उक्त भूमि का वसीयत नाम अपने हक में करा लिया था। जबकि माताप्रसाद भूमिस्वामी नहीं थे और उन्हें वसीयत करने का अधिकार नहीं था। तहसीलदार द्वारा जो कार्यवाही की गई हे वह कार्यवाही अवैध व शून्य है। उनके द्वारा यह भी कहा है कि अपर कलेक्टर द्वारा काल्पनिक आधार पर यह मान्य करते हुये कि मृतक माताप्रसाद के पुत्र रामसहाय अंधे थे इस कारण से उनके द्वारा प्रार्थी के हक में वसीयत की जाना

संदिग्ध है परन्तु उनके द्वारा मधुबाई के हक में की गई वसीयत के संबंध में कोई विवेचना नहीं की ओर ना ही इस बिन्दु की जांच की कि मधु बाई किस प्रकार से रामसहाय की वैध वारिस है और प्रतिप्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुये तहसीलदार का आदेश यथावत रखा। अतः रिव्यु आवेदन पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है ।

5– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की है उनके द्वारा अपनी बहस में यही तथ्य दोहराये है कि विचारण न्यायालय का आदेश एवं अपर कलेक्टर भिण्ड का आदेश सही है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस रिव्यु आवेदन पत्र में आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई नई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह रिव्यु आवेदन पत्र मान्य किया जावे। निगरानी न्यायालयों एवं तहसीलदार ने अपने आदेष में यह निष्कर्ष निकाला है कि माताप्रसाद का पुत्र रामसहाय एवं पत्नी बादामीबाई अन्धी थी। ऐसी दषा में अपने वैद्य पुत्र एवं पत्नी बादामीबाई अन्धी थी। ऐसी दशा में अपने वैद्य एवं पत्नी को छोड़कर मृत माताप्रसाद द्वारा आवेदन कृष्णकांत के पक्ष में वसीयत करना संदिग्ध प्रतीत होता हैं । वसीयत का पंजीकरण होना अनिवार्य नहीं है, किन्तु वसीयत के आधार पर तभी नामांतरण किया जा सकता है तब वसीयत साक्ष्य द्वारा पूर्णत असंदिग्ध प्रमाणित हों एसी स्थिति में रिव्यु अमान्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों ।

सदस्य